Impact Factor (SJIF): 5.158 E-ISSN: 2583-7206, P-ISSN: 3049-2432

International Journal of All Subject Research

Received: 10/August/2025 IJASR: 2025; 4(5):14-17 Accepted: 14/September/2025

भारत में बालश्रमिकों के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना

[*1]अश्वनी यादव

[*1]शोधार्थी, इतिहास विभाग, शा. हमीदिया कला एव वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

बचपन किसी भी समाज में एक अनिवार्य अनुभव है, जो सामान्य आवश्यकताओं व विकास के आधार पर तय होता है। तथा इसके लिए वृद्धि, सीखने, कौशल प्राप्त करना, मूल्यों को विकसित करना तथा खेलने के लिए समय अनिवार्य तत्व होते हैं। पर अतीत से लेकर वर्तमान तक कुछ बच्चों को अपने दैनिक जीवनचर्या के लिए कठोर श्रम का सहारा लेना पड़ा है, जहाँ उन्हें जिस समय स्कूल या खेल के मैदान में होना चाहिए था, वहीं वे अपना समय कठोर श्रम में व्यतीत कर रहे थे। प्राचीन काल से चाहे वह दासता के रूप में हो या वर्तमान में बाल श्रम के रूप में उन्हें चंद पैसों के लिए अपना बचपन खोना पड़ता है। इसमें सबसे प्रमुख कारण उनके परिवार का गरीब होना है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी कारण है जो बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, जागरूकता आदि | अंत: इस शोध के माध्यम से हम बालश्रम के लिए उत्तरदायी कारणों की गहराई से विवेचना करेगे साथ ही दिखाने का प्रयास करेगे की क्यों आजादी के 75 साल के उपरांत भी यह जिम्मेदार कारक आज भी हमारे समाज मे मौजुद है।

मुख्य शब्द: बालश्रमिक, गरीवी, बेरोजगारी, पिछडापन आदि।

प्रस्तावना

सामन्यतः किसी भी सामाजिक समस्या के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता है, विभिन्न कारण आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार बाल श्रम के लिए भी विभिन्न कारक एक दूसरे के साथ अंतर्संबंध है। आम तौर पर ये माना जाता है कि गरीवी, निरक्षरता, अज्ञानता, कम मजदूरी, बेरोजगारी, जीवन स्तर, आदि बाल श्रम के मूल कारण है। [1] अतः बाल श्रम की समस्या में योगदान देने वाले कारकों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।-

- आपूर्ति पक्ष कारक
- मांग पक्ष कारक

जहाँ आपूर्ति पक्ष कारक उन परिस्थितियों को संदर्भित करते हैं जिनके तहत परिवार को बच्चों को काम पर लगाना पड़ता हैं।

वही मांग पक्ष कारक उन परिस्थितियों को सन्दर्भित करता है, जहां नियोक्ताओं द्वारा अपनी जरूरत के लिए बच्चों को काम पर रखने को प्राथमिकता देनी होती हैं |

नियोक्ता बाल श्रम को एक सस्ते श्रम के रूप में देखते हैं, क्योंकि बच्चे कम वेतन मे भी वयस्कों के समान उत्पादकता प्रदान करते हैं साथ ही बच्चों के लिए रोजगार की आसान उपलब्धता और पहुच ने नियोक्ता को कम कीमत पर बच्चों को काम मे रखने में आसानी भी दी है| इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। बालश्रम इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे अधिक सक्षम श्रमिक हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें कम पैसे में काम पर रखा जा सकता है। [2]

आपूर्ति पक्ष कारक [3]

आपूर्ति पक्ष कारकों में आर्थिक कारक प्रमुख भूमिका रखता है वही पिछड़ापन इसके अंतर्गत एक प्रमुख समस्या है।

पिछड़ापन

पिछड़ापन ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट घटना है, जो पश्चिमी पूँजीवाद के विकास और दुनिया के स्वामित्व के उसके संबंधों से जुड़ी है। जिस तरीके से उन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की आड़ में इन पूर्वी देशों का शोषण किया और यहां से पूरे संसाधनों का जिस तरीके से दोहन किया और बदले मे पिछड़ेपन के साथ साथ गरीबी दे गए वो आजादी के बाद की विभिन्न योजनाएं भी नहीं सम्भाल सकीं। और आजादी के कई दशकों बाद भी भारत जैसे कहीं उपनिवेश उस पिछड़ेपन और शोषण का प्रभाव झेल रहे हैं और यही बाल श्रम के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अविकसित देशों में 90% बाल श्रम केंद्रित है, 2024 की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं और जिनमे से आधे से अधिक बच्चे हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बालश्रम के लिए उत्तरदायी कारणों मे पिछडापन एक प्रमुख भूमिका रखता है, लेकिन इसकी बजह से भी अनेक कारणों का निर्माण हुआ जो बाल श्रम के लिए उत्तरदायी है-

***Corresponding Author:** अश्वनी यादव

गरीबी

गरीबी भारतीय उपमहाद्वीप में बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारकों में प्रमुख है। भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 16.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ऐसा अध्ययन बताते हैं कि परिवार नियोजन की जागरूकता न होने की वज़ह गरीब लोगों के परिवार आकार में भी बढ़े होते हैं, अंतः बड़े परिवार को अपने पालन पोषण हेतु अधिक लोगों की आय में वृद्धि उनके अस्तित्व के बोझ को कम करने और अधिक लोगों को संरक्षण करने में मदद करती है। अंततः परिवार ही बच्चों को खतरनाक कारखानों और घरेलू कार्यो में रोजगार करने के लिए मजबूर करते है, जो कि उसके पारिवारिक आय की पूर्ति के साथ साथ चिकित्सा व्यय और अन्य आकस्मिकताओं की पूर्ति करता है, भारत की नीति आयोग 2015 के अनुसार गरीबी के दो पहलू हैं। [4]

- पूर्ण गरीबी
- सापेक्ष गरीबी

पूर्ण गरीबी के मामले में देश के लोगों की आय इतनी कम होती है, कि वे अपनी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इस परिभाषा के आधार पर पूरे विश्व में लगभग 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमे से लगभग 40% हिसंक संघर्ष से ग्रस्त देशो मे रहते हैं, जो गरीवी उन्मूलन प्रयासों मे बाधक है, जिनमें से 23.4 करोड़ भारत में है, जो कि कुल वैश्विक जनसंख्या का 21 प्रतिशत है, वहीं पाकिस्तान में 9.3 करोड़ व इथोपिया में 8.6 करोड़, नाईजीरिया में 7.4 करोड़, वही कांगो में 6.6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे है, दुनिया में बहुआयामी गरीबी से जूझ रही करीब आधी यानी 48.1 फीसदी आबादी इन्हीं पाँच देशों में बसी है। रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई कि दुनिया में बहुआयामी गरीबी में जीवन गुजारने वालों में करीब आधे बच्चे हैं। इसका अर्थ है की दुनिया में 18 वर्ष से कम आयु के करीब 58.4 करोड़ बच्चे बहुआयामी गरीबी का शिकार है, जो दुनिया में कुल बच्चों का करीब 28 फीसदी है। वहीं दुनिया के 13.5 फीसदी वयस्क बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। [5]

वहीं सापेक्ष गरीबी का मतलब है, जब हम अलग अलग लोगों की आय की तुलना करते हैं और पाते है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक गरीब हैं ये बाल श्रम जैसी समस्या के अस्तित्व का सबसे स्पष्ट और प्रमुख कारण हैं। शहरी गरीब और ग्रामीण हाशिए पर पड़े लोग और भूमिहीन गरीब लोग अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। कि बाल श्रम और गरीबी का गहरा अंतर संबंध है और जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं हो सकती, तब तक हम किसी भी रूप में बाल श्रम को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में 250 से 300 मिलियन लोग भुखमरी की स्थिति में है अतः बाल श्रम में शामिल परिवारों की पृष्ठभूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों के साथ आंतरिक संबंध है।

तेन्दुलकर और जैन के अनुमान से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी 1990-91 में 37.5% से बढ़कर 1993-94 में 39.7% हो गई होगी, दूसरी और शहरी गरीबी 1990-91 35% से घटकर 1993 में 30.90% हो गई। [6]

शहरी संदर्भ में गरीबी की स्थिति बहुत हद तक उस माहौल पर निर्भर करेगी। जिसमें शहरी लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है| मद्रास के एक तथ्यात्मक साक्ष्य मैं पाया गया कि काम करने वाले बच्चों की 98.8% परिवारों की आय प्रतिमाह ₹500 से कम है। जो कि घोर गरीबी, बीमारी या अन्य प्रकार की विकलांगता का कारण बनती हैं| जो अक्सर परिवार के बजट में असंतुलन पैदा करती है और गरीब माता पिता को अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर करती है।

इसके साथ साथ बंधन एक और आयाम है जो घोर गरीबी का परिणाम है जहां ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी असंगठित क्षेत्रों में कुल बाल श्रम शक्ति के लगभग 70% को अपने स्वयं के माता पिता द्वारा विभिन्न प्रकार के बंधनों में रखा जाता है। बंधन की मुख्य विशेषता है कि बच्चों को ऋण के बदले में गिरवी रखा जाता है यानी नियोक्ता और बच्चों के माता पिता के बीच एक समझौता होता है कि बच्चा पैसे या भोजन के बदले में हर समय काम करेगा।

बेरोजगारी

आजादी के बाद से न सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तेजी से बढ़ रही है बल्कि बेरोजगारी भी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। बेरोज़गारों और अल्प रोजगार को छोड़ दें, तो पंजीकृत बेरोज़गारों की संख्या 2 मिलियन से बढ़कर 24 मिलियन हो गई है। [7] जहां श्रमिक संघ व कानूनों की वजह से संगठित क्षेत्रों के श्रमिक को शोषण करने की क्षमता वास्तव में लगातार कम होती जा रही है दूसरी ओर अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तार कर रहा है और वे भी उन्नत क्षेत्रों में है। इस असुरक्षित अनौपचारिक बाजार में श्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो ठेक पर या बंधुआ है और इनमे से अधिकांश श्रमिक भी पिछड़े वर्ग से है। पिछड़े क्षेत्रों और निचले इलाके और वर्गों में बाल श्रम की वृद्धि में तेजी आयी है। वही बड़ी संख्या में शहरों में जबरन प्रवास ने बाल श्रम की वृद्धि को बढ़ाने में योगदान दिया है। नियोक्ता बाल श्रम को एक सस्ते श्रम के रूप में देखते हैं, क्योंकि बच्चे कम वेतन मे भी वयस्कों के समान उत्पादकता प्रदान करते हैं साथ ही बच्चों के लिए रोजगार की आसान उपलब्धता और पहुच ने नियोक्ता को कम कीमत पर बच्चों को काम मे रखने में आसानी भी दी है, इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। बालश्रम इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे अधिक सक्षम श्रमिक हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें कम पैसे में काम पर रखा जा सकता है। अतः बालश्रम वयस्क बेरोजगारी में योगदान देता है। डगलस ने खुलासा किया है कि अमेरिका में भी बच्चे की श्रम मे लगे होने के कारण बेरोजगारी के कारण बड़े स्तर पर व्यस्क रोजगार की तलाश करते है।

नीरा बूरा ने भी खुलासा किया है कि बुलंदशहर जिले में बड़े पैमाने पर ग्रामीण गरीबों की बेरोजगारी के कारण खुर्जा कुम्हार में बालश्रम अधिक है। [8]

आसान बनाने योग्य [9]

कई कार्यों के लिए नियोक्ता व्यस्को की तुलना में बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि बच्चों में अहंकार और संगठन की चेतना कम होती है। इसी वजह से उन्हें बच्चों के रूप में बिना किसी कठिनाई की अपमानजनक नौकरी में लगाया जा सकता है। नियोक्ता उन्हें अधिक अनुशासित और नियंत्रण में रख सकते हैं। साथ ही वो कभी भी उसके शोषण का विरोध नहीं करेंगे।

पलायन [10]

कम अवसर, बेरोजगारी, सूखा और अधूरे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन के मुख्य कारण है। 1901 तक कुल आबादी का 11% हिस्सा शहरों में रहता था, जो 2020 में 37% से ज्यादा हो गया | तेजी से बढ़ते शहर कई समस्याओं का कारण बनते हैं। जो शहरी केंद्रों में बाल श्रम के अस्तित्व को जन्म देते हैं शहरी बेरोजगारी में वृद्धि से निम्न समस्याए आती है |

- जीवन सूचकांक में कमी
- सामाजिक विघटन

इसके साथ ही शहरी चमक दमक भी माता पिता को शहरी केंद्र में पलायन करने के लिए उकसाता है या अपने बच्चों को अधिक पैसा कमाने के लिए ऐसे केंद्र में भेजने के लिए विवश करता है और यही शहरो में असंगठित क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रहा है। जिसमें फुटपाथ पर सामान बेचना, कूड़ा बीनना, बाल वेश्यावृत्ति, सामान

बेचना और अन्य और ये सब भारत में शहरी केंद्रों की अनियंत्रित और असीमित विकास के कारण है।

बड़े परिवार का आकार [11]

परिवार का आकार भी परिवार के गरीबी और बाल श्रम के स्तर को प्रभावित करता है। बड़े परिवार के आकार के कारण अपर्याप्त आय की पूर्ति के लिए बच्चों की आवश्यकता बढ़ जाती है, निर्भरता का दबाव बाल श्रम के अस्तित्व की संभावना पैदा करते हैं।

निरक्षरता [12]

भारत में जनसंख्या का बड़ा समूह निरक्षर है वे केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं उन्हें भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं होती है बाल श्रम और बच्चों की स्कूल न जाने की समस्या का गरीब तबके से महत्वपूर्ण संबंध है कई बच्चे घर पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके माता पिता न्यूनतम यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी आदि का खर्च नहीं उठा सकते इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते| क्योंकि इससे न केवल उनकी जेब पर असर पड़ता है, बल्कि उन्हें बाल श्रम से होने वाली आय से वंचित होना पड़ता है|

माता पिता की शिक्षा [13]

घरेलू आय को नियंत्रित करते हुए माता पिता की शिक्षा का भी बच्चो की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है| अगर माता पिता की बच्चों के प्रति अलग अलग प्राथमिकताएं हैं| तो बाल श्रम पर माता और पिता की शिक्षा के अलग अलग प्रभाव दिखेंगे जैसे अगर पिता कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है की बच्चे को कार्य करने में लगाया जाए| लेकिन यदि माँ कार्य कर रही है तो पूरी कोशिश करेगी किसी प्रकार से अपने बच्चे को बाल श्रम में ना झोंके, इससे स्पष्ट होता है कि अगर माँ अधिक शिक्षित होगी तो बाल श्रम की दर में कमी आएगी।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि [14]

भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक असमानताओं और आर्थिक विकास की गिरती दर पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है इसने विकराल समस्याएं पैदा की है जो हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं कम आय वाले और समाज के बड़े हिस्से का गठन करने वाले गरीब लोग आमतौर पर इन सभी घटनाओं के शिकार होते है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से अत्यधिक श्रम आपूर्ति और वयस्कों मे बेरोजगारी होती है, जो माता पिता पर शिक्षा हेतु बहुत सारा पैसा निवेश करने के लिए भारी दबाव डालती है।

पारिवारिक वातावरण [15]

पारिवारिक वातावरण भी बच्चों को घर से बाहर काम करने के लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है| कुछ परिवार हिंसक हो सकते हैं और इस प्रकार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में असमर्थ हो सकते हैं अन्य परिवार जुए और शराब के आदी हो सकते हैं| ऐसे मामलों में बच्चों को घर के अप्रिय माहौल से बचने के लिये या स्वेच्छा से या परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए अनैच्छिक रूप से काम करने के लिए मजबूर किया जा सकताहै|

सांस्कृतिक कारक [16]

- बच्चों को पारिवारिक कौशल सिखाने की परंपरा।
- समाज में लड़कियों के प्रति रवैया की लड़कियों को कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें शिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कहावत भी है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पड़ोसी के खेत में पानी देना जैसा है।हालाकि ये बहुत ही निम्न मानसिकता को दर्शाती हैं।
- बच्चों से काम करवाने के दुष्परिणाम के बारे में माता पिता की अज्ञानता।

मांग पक्ष कारक [17]

- नियोक्ता द्वारा कम कुशल या अकुशल कार्य और नीरस कार्य के लिए बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि बच्चों को कम वेतन दिया जा सकता है और उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है
- नियोक्ताओं द्वारा सांस्कृतिक मिथकों का निर्माण।
- बच्चों को काम से मिलने वाला आर्थिक प्रोत्साहन।
- श्रम कानूनों का गैर क्रियान्वयन बाल श्रम को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधनों का आभाव और प्रवर्तन तंत्र की अपर्याप्त शक्ति
- इस प्रथा के प्रति सरकारी अधिकारियों में कठोर निश्चय और इच्छाशक्ति का अभाव।

शिक्षा सुविधाओं की कमी [18]

भारत सरकार के द्वारा संविधान में यह उल्लिखित किया गया है, कि भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जायेगी तथा यह माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान कराए। लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने में लापरवाही के कारण बाल श्रम आज भी व्याप्त है क्योंकि गरीबी और अज्ञानता के कारण उनके परिवार शिक्षा पर खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो इसके साथ साथ यही बच्चे उचित निगरानी और पर्यवेक्षण के अभाव में बाल श्रम मे लिप्त हो जाते हैं।

सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में ढिलाई

भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से ही बाल श्रम हेतू विभिन्न कानून बनाए और उन्हें क्रियान्वित किया गया| लेकिन उन्हें व्यापक और लगन के साथ क्रियान्वित नही किया गय| ना ही सरकार द्वारा लागू की गयी निधि उन बच्चो तक सही तरीके से पहुच पाती है| क्यूंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी व एन जी ओ संचालक इस निधि का खुद ही उपयोग कर लेते है| हालांकि सरकार फिर भी प्रयासों मे लगी है जैसे हालिया अधिनियम बाल श्रम रोकथाम और संरक्षण अधिनियम 2017 [19] के तहत ज्यादातर उद्योगों मुख्यत सभी खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया| हालांकि ये बाल श्रम की वृद्धि को रोक सकते हैं पर ये बाल श्रम की बुराई को पूर्णता समाप्त नहीं कर सकते हैं।

असंगठित प्रकृति [20]

बाल श्रमिकों का कोई भी मजदूर संगठन नहीं होता इसलिए वे अपनी मांगों के लिए लड़ भी नहीं पाते हैं। जिसकी बजह से उन्हें उन शोषणकारी श्रम गतिविधियों से छुट प्राप्त करने मे संकटों का सामना करना पड़ता है।

युद्ध [21]

वर्तमान समय मे पूरा विश्व कही ना कही किसी युद्ध मे सलंग्न है, जैसे रूस उक्रेन, इजराएल फिलिस्तीन, मध्य एशिया के देशो, के बीच आदि| लेकिन इन युद्ध की बजह से बड़े स्तर पर लोगो की जान जाती है और कही लोग बेघर हो जाते है और इन बेघर परिवारों मे कही बच्चो को भी अपना परिवार खोना पड़ता है|इसके साथ ही कही स्कूल बंद हो जाते है| जिससे जो स्कूल के माध्यम से बच्चों को लाभ प्राप्त होते थे वो भी खत्म हो जाते है । यूनिसेफ की जुलाई मे आई रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रष्ट देशो मे लगभग 15000 स्कूल युद्ध की भेट

चढ़ गये वही 2005 से लगभग 104,100 बच्चों की मृत्यु हुयी हैं। [22] इससे हम ये अनुमान लगा सकते है की युद्ध की बजह से बच्चों की स्थिति किस तरह दयनीय होती जा रही है ।

प्राकृतिक आपदा व जलबायु परिवर्तन [23]

इसका बड़ा परिणाम गरीव और उनके बच्चो को झेलना पड़ता है। क्यूंकि उन्हें बार बार प्रवास करना पड़ता है। जिस बजह से जीने हेतु उन्हें अपने बच्चो को भी बालश्रम मे लगाना पड़ता है।

बाल श्रम के अंतर्निहित कारणों में केवल एक या दूसरे कारक को शामिल नहीं किया जा सकता। बल्कि ये कई कारकों का संयोजन होता है क्योंकि बालश्रम विभिन्न कारकों का परिणाम था । जैसे शिक्षा की कमी, पारंपरिक रीति रिवाज, स्कूल भेजने में माता पिता की अरुचि, बच्चे का स्कूल जाना, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण प्रवास।

इसके अलावा बाल श्रम के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य कारक निम्न है जिसमें माता पिता की अपेक्षा, बेरोजगारी, खराब जीवन, गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह, पढ़ाई में अरुचि, बाल कल्याण के प्रति माता पिता का नकारात्मक रवैया, परिवार में पुरुष सदस्यों की गैरजिम्मेदारी, मादक पदार्थों की लत, शराबखोरी, राजनैतिक सुरक्षा के पर्याप्त उपाय, आदि। [24]

इसे एक चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं-

बाल श्रम ⇨ कोई शिक्षा नही ⇨ कठिन और श्रम साध्य कार्य ⇨ शोषनकारी मजदूरी ⇨ प्रारंभिक शारीरिक क्षय ⇨ कम उम्र मे शादी और कही बच्चे ⇨ आर्थिक असुरक्षा ⇨ जीवन की निम्न गुणबत्ता ⇨ गरीवी विदमान हमेशा [25]

उपसंहार

इस प्रकार हम देख सकते है की बाल श्रम के लिए कही कारक जिम्मेदार है जिसमे कुछ प्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम की वृद्धी मे योगदान देते है वही कुछ कारक अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम की वृधि मे योगदान देते है। हालाकि यदि हम सभी कारणों को एक साथ रखे तो स्पष्ट होता है गरीवी इन सव को कही ना कही आपस मे जोड़ के रखती है तथा जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत मे उपनिवेशवादी नीतियां बनाई गयी उनका प्रभाव आज भी हमारे सामने दीखता है क्योंकी भारत मे गरीवी लाने मे ब्रिटिश नीतियों की प्रमुख भूमिका रही। हालाकि स्वन्त्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इस गरीवी को खत्म करने के लिए अनेक प्रयास किये गये लेकिन ये आज भी हमारे देश मे मौजूद है और यही गरीवी बालश्रम के उत्तरदायी कारको मे प्रमुख भूमिका निभाती है अंत: हम उम्मीद करते है की कुछ सदी मे ये गरीवी खतम होगी और साथ ही उसके साथ जुड़े अन्य कारक खत्म होगे और हम एक बालश्रम मुक्त समाज मे रह सकेगे ।

सन्दर्भ सूची

1. सक्सेना, डॉ एस.सी, श्रम समस्याए एव सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड, मेरठ, 1997, पृष्ट संख्या.99.
2. डॉ कमलेश भरद्वाज और डॉ सुभाष चन्द्र गुप्ता, बालश्रमिक, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली प्र. 56.
3. पंथ, एस.सी, इंडियन लेबर प्रोब्लम्स, चित्रा पब्लिकेशन, इलाहाबाद पृष्ट.124-129.
4. Multidimensional poverty index, Niti aayog, 2015.
5. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकाक 2024 यु एन डी पी और ऑक्सफ़ोर्ड गरीवी मानव विकास पहल के सयुंक्त प्रयास।
6. Tendulkar Committy on poverty dimension, 2009.
7. Employment and Unemployment scenario of India, directorate general of employment, 2022-23.
8. Burra, Neera, Born to work: child labour in India: oxford university press, 1995 p.234.
9. sathyarthi, Kailash, will for children, prabhat publication, 2017, p.124
10. कैलाश, सत्यार्थी, कोविड 19, सभ्यता का संकट और समाधान, प्रभात पब्लिकेशन, पृष्ट 54.
11. कैलाश, सत्यार्थी, आज़ाद बचपन की और, प्रभात पब्लिकेशन, 2019, पृष्ट-82.
12. वही, पृष्ट-83.
13. कैलाश, सत्यार्थी, आज़ाद बचपन की और, प्रभात पब्लिकेशन, 2019, पृष्ट-83.
14. वही, पृष्ट-84.
15. भरद्वाज, कमलेश, बालश्रमिक, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2024, पृष्ट-57.
16. भरद्वाज, कमलेश, बालश्रमिक, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2024, पृष्ट-58.
17. वही, पृष्ट-59.
18. कैलाश, सत्यार्थी, कोविड 19, सभ्यता का संकट और समाधान, प्रभात पब्लिकेशन, पृष्ट 57.
19. Child labour probhition and regulation act 2016.
20. कैलाश, सत्यार्थी, आज़ाद बचपन की और, प्रभात पब्लिकेशन, 2019, पृष्ट-88.
21. कैलाश, सत्यार्थी, कोविड 19, सभ्यता का संकट और समाधान, प्रभात पब्लिकेशन, पृष्ट 64.
22. वही, प्र, 25.
23. कैलाश सत्यार्थी, कोविड 19, सभ्यता का संकट और समाधान, पृष्ट 67.
24. कैलाश, सत्यार्थी, आज़ाद बचपन की और, प्रभात पब्लिकेशन, 2019, पृष्ट-85.
25. वही, पृष्ट-95.
26. कैलाश सत्यार्थी, कोविड 19, सभ्यता का संकट और समाधान, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2021.
27. कैलाश, सत्यार्थी, आज़ाद बचपन की और, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2019.
28. भरद्वाज, कमलेश, बालश्रमिक, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2024.
29. Burra, Neera, Born to work: Child labour in India: oxford university press, 1995.
30. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकाक 2024 यु एन डी पी और ऑक्सफ़ोर्ड गरीवी मानव विकास पहल के सयुंक्त प्रयास।
31. Tendulkar Committy on poverty dimension, 2009।